श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू
माननीय मुख्यमंत्री,
हिमाचल प्रदेश

श्री मुकेश अग्निहोत्री
माननीय उप मुख्यमंत्री,
हिमाचल प्रदेश

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

HPDT
DEPARTMENT OF TRANSPORT

सड़क सुरक्षा
जानकारी एवं मार्ग दर्शिका

हमारा संकल्प

सुरक्षित एवं सुगम राहों पर सतर्कता एवं सावधानी से आगे बढ़े हिमाचल

TRAFFIC SIGNAL RULES

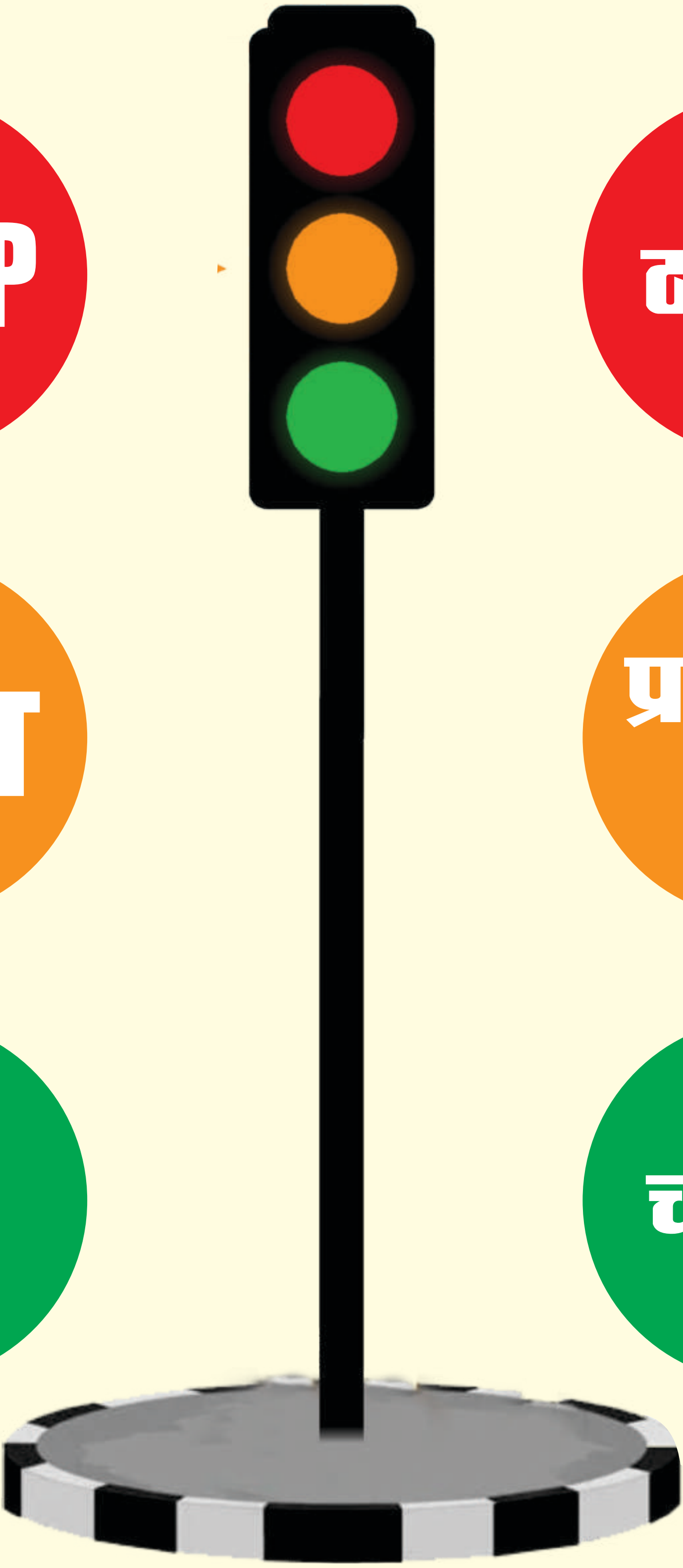

STOP — ठहरिये

WAIT — प्रतीक्षा करें

GO — चलिए

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही हैं कि राज्य परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा एवं नियमों से सम्बन्धित पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहां परिवहन के अन्य साधन सीमित होने के कारण सड़कें यातायात में प्रमुख भूमिका निभाती है। राज्य के गठन के समय सड़कों की लम्बाई मात्र 288 किलोमीटर थी जो अब बढ़कर 41 हजार किलोमीटर हो गई है। प्रदेश की जीवन रेखाएं कही जाने वाली सड़कों ने विकास को राज्य के दूरदराज व कठिन क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। मानवीय भूल, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों से इन मार्गों पर होने वाले असामयिक हादसों से हर वर्ष जान–माल का भारी नुकसान हो रहा है, जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।

मेरी प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील है कि वे सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने का प्रण लें। यातायात नियमों का सदैव पालन करें। इस बात को सदैव ध्यान में रखें कि मानव जीवन आपके व समाज के लिए अमूल्य है। आपके इस प्रयास से हम सभी एक सुन्दर व सुरक्षित हिमाचल का निर्माण करने में कामयाब होंगे। ऐसा मेरा मानना है।

राज्य परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा एवं नियमों पर आधारित पुस्तिकाएं प्रकाशित कर आमजन को जागरूक करने के लिए एक सराहनीय पहल की है। मैं इस प्रयास के लिए विभाग को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

सुखविन्दर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न हितधारकों के मध्य जागरुकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित मार्गदर्शिका प्रकाशित की जा रही है।

हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य में ई—मोबिलिटी को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। पर्यावरण हितैषी इस पहल के दृष्टिगत प्रदेश की सभी डीजल बसों को चरणवद्ध तरीके से ई—बसों में परिवर्तित किया जाएगा। पर्यटन प्रदेश होने के मद्देनजर यहाँ प्रतिवर्ष वाहनों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज हो रही है। सरकार का यह प्रयास है कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देकर यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाया जाए।

इसलिए मेरी हर सजग नागरिक से अपील है कि सदैव यातायात कानूनों व नियमों का पालन करे। परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण व स्वास्थ्य विभाग तत्परता में कार्य करते हुए यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित कर सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में ई—वाहनों के संचालन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील है कि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाकर सुरक्षित व न्यूनतम सड़क हादसों वाला प्रदेश बनाने में सहयोग दें।

मुकेश अग्निहोत्री

मुकेश अग्निहोत्री

उप मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

राज्य में सितम्बर 2023 तक पंजीकृत वाहनों की संख्या: एक परिदृश्या।

Sr.	Non- Transport	Count
1	Adapted Vehicle	121
2	Agricultural Tractor	17442
3	Breakdown Van	6
4	Bulldozer	8
5	Camper Van/ Trailer (Private Use)	5
6	Construction Equipment Vehicle	2851
7	Crane Mounted Vehicle	1014
8	Earth Moving Equipment	3446
9	Excavator (NT)	1745
10	Fork Lift	12
11	Harvester	6
12	M-Cycle/Scooter	1117799
13	M-Cycle/Scooter-With Side Car	2918
14	Moped	24080
15	Motor Car	703131
16	Motorised Cycle (CC>25cc)	292
17	Omni Bus (Private Use)	2235
18	Private Service Vehicle (Individual Use)	5192
19	Recovery Vehicle	404
20	Road Roller	9
21	Three Wheeler (Personal)	26
22	Tow Truck	462
23	Tower Wagon	5
24	Trailer (Agricultural)	148
25	Trailer For Personal Use	19
26	Tree Trimming Vehicle	1
27	Vehicle Fitted With Compressor	56
28	Vehicle Fitted With Generator	5
29	Vehicle Fitted With Rig	118

Sr.	Transport	Count
1	Ambulance	1676
2	Animal Ambulance	1
3	Articulated Vehicle	9
4	Bus	18048
5	Camper Van / Trailer	32
6	Cash Van	2
7	Dumper	286
8	Educational Institution Bus	5464
9	Excavator (Commercial)	57
10	Fire Fighting Vehicle	124
11	Fire Tenders	17
12	Goods Carrier	198413
13	Hearses	147
14	Library Van	2
15	Maxi Cab	15347
16	Mobile Canteen	7
17	Mobile Clinic	38
18	Mobile Workshop	15
19	Motor Cab	35982
20	Motor Cycle/Scooter used for Hire	2760
21	Omni Bus	1322
22	Private Service Vehicle	789
23	Three Wheeler (Goods)	4146
24	Three Wheeler (Passenger)	5955
25	Tractor (Commercial)	23095
26	Tractor-Trolley (Commercial)	2
27	Trailer (Commercial)	166
28	X-Ray Van	4

Sr.	Electric Vehicle	Count
1	M-Cycle/Scooter	1896
2	M-Cycle/Scooter-With Side Car	10
3	Moped	26
4	Motor Car	174
5	Motorised Cycle (CC>25cc)	20
6	Private Service Vehicle (Individual Use)	4
7	Three Wheeler (Personal)	2
8	Bus	87
9	e-Rickshaw (P)	178

Sr.	Electric Vehicle	Count
10	e-Rickshaw with Cart (G)	9
11	Goods Carrier	9
12	Maxi Cab	43
13	Motor Cab	1
14	Omni Bus	30
15	Private Service Vehicle	1
16	Three Wheeler (Goods)	2
17	Three Wheeler (Passenger)	10

Non- Transport =1883556

Transport = 313906

Electric Vehicle = 2502

Total Number of Vehicles 2199964

हिमाचल परिवहन संचालन – एक नजर

पहाड़ी राज्य हिमाचल 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुख्यतः सड़क मार्ग ही संचार, परिवहन का मुख्य जरिया है। आजादी से पूर्व 1856 में कालका–शिमला सड़क मार्ग का निर्माण हुआ, वहीं 1903 में कालका से शिमला व 1929 में पठानकोट से जोगिन्द्र नगर तक रेल पहुँची। वर्तमान में ऊना–नंगल रेल लाईन प्रदेश के मैदानी इलाकों की प्रमुख बड़ी रेल लाइन है व भानुपली–बिलासपुर रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है। राज्य के गठन के वक्त वर्ष 1948 में सड़कों की लम्बाई मात्र 288 किलोमीटर थी जो वर्ष 1971 में पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिलने पर 8000 किलोमीटर तक पहुंची। आज राज्य में सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 41 हजार किलोमीटर से अधिक है। तीव्र गति से सड़कों के निर्माण से गांव–गांव व दूरदराज क्षेत्रों तक यातायात सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी में नवीन तकनीक के उपयोग से पुलों के बदले सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। दूरियां कम और राह आसान हुई है। नये मार्गों, सम्पर्क मार्गों व ग्रामीण सड़कों पर गति से हादसों के खतरे भी बढ़े हैं। आज 70 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में वाहनों की संख्या लगभग 22 लाख से अधिक है।

राज्य एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण देश में सड़क हादसों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर उचित प्राथमिक चिकित्सा व अन्य सुविधाएं प्रदान करना एक जटिल कार्य है। इन सब के बावजूद स्थानीय निवासी ऐसी आपात स्थिति में सर्वप्रथम राहत व बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। यह हम सब प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है कि वे दशकों से नेक व्यक्ति (Good Samaritan) का फर्ज अदा कर रहे हैं।

राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 3000 छोटी–बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती है। इनमें लगभग 1200 व्यक्ति काल का ग्रास व 5000 के करीब घायल होते हैं। इन हादसों का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से व लापरवाही से वाहन चलाना, नशे का सेवन व सड़क सुरक्षा के मानदण्डों का पालन न करना है। राज्य में 95 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं का मूल कारण मानवीय भूल को आंका गया है। प्राकृतिक व अन्य कारण मात्र 5 प्रतिशत हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों पर 51.25 प्रतिशत व अन्य मार्गों पर 48.44 प्रतिशत घटनाएं होती है। कुल

सड़क मार्ग की लम्बाई का मात्र 6.09 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में आता है जब कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या यहां सर्वाधिक है। इसका मुख्य कारण तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों के उपरान्त सर्वाधिक सड़क हादसे सम्पर्क मार्गों व राज्य मार्गों पर होते हैं।

पर्यटन प्रदेश होने के कारण हर वर्ष पर्यटकों के वाहनों में भी आशातीत वृद्धि दर्ज हुई है। बाहरी प्रदेशों के चालकों द्वारा पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाने में अनभिग्यता से भी अनेक हादसे पेश होते हैं। सरकार ने सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। सभी हितधारकों जैसे–परिवहन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा विभागों के साथ मिलकर संयुक्त नीति के तहत सड़क हादसों की संख्या में कमी लाने व बहमूल्य जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कानूनों, नियमों व विनियमों का कड़ाई से पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश से ई–परिवहन, ई–चालान, यातायात पर कैमरों द्वारा नज़र रखी जा रही है। सड़क पर यातायात संकेतों, सूचकों व सड़क चिन्हों को प्राथमिकता से लगाया जा रहा है। राज्य में पर्यटन पुलिस थानों का भी गठन किया जा रहा है। विद्यालयों व महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन कर युवा शक्ति को सड़क सुरक्षा के बारे में नियमित तौर पर जागरूक किया जा रहा है।

हिमाचल देश का एक शिक्षित प्रदेश है, राज्य की युवा शक्ति जो सबसे ज्यादा हादसों की शिकार होती है, को जागरूक करने के लिए विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

स्कूली शिक्षा के पाठयक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल किया गया है। आम लोगों को सड़क के उपयोग, नियमों के पालन के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रानिक, सोशल मीडिया सहित नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्य में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हि. प्र. नोडल ऐजेंसी का कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा हेतु जिला सड़क सुरक्षा समितियां भी गठित की गयी हैं।

हम सड़क दुर्घटनाओं को तभी कम कर सकते हैं जब प्रदेश का हर व्यक्ति इस कार्य में एक सजग एवं जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। इस पुस्तिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को हितधारकों विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने की एक सार्थक पहल है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिये उनके बहुमूल्य सुझाव भी आमन्त्रित करता है ।

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का परिदृश्य

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2016	3168	1271	5764
2017	3114	1203	5452
2018	3110	1208	5551
2019	2873	1147	4903
2020	2239	893	3223
2021	2404	1052	3454
2022	2597	1032	4063
जनवरी से अगस्त 2023	1399	564	2344
कुल	**20904**	**8370**	**34754**

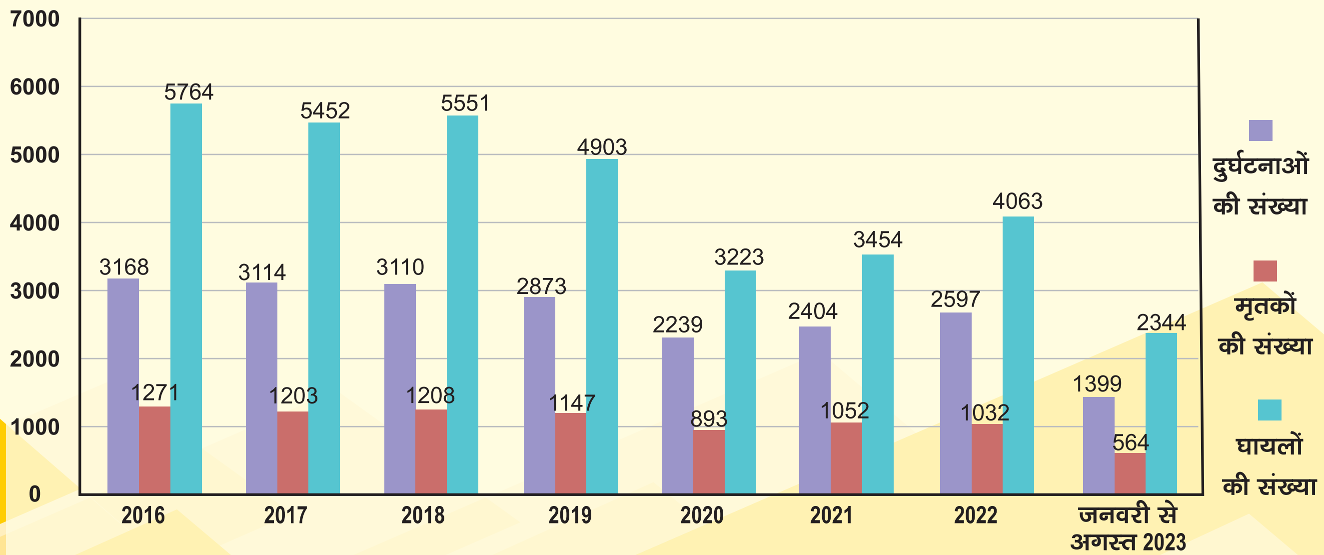

21वीं सदी की कुछ नई कुरीतियां

1. तेज गति से वाहन चलाना।
2. नशे की हालत में वाहन चलाना।
3. वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करना।
4. यातायात नियमों, संकेतों, सूचकों व सड़क चिन्हों का पालन न करना।
5. घायल व्यक्ति की मद्‌द करने को आगे न आना।
6. अपने प्रभुत्व व पहुँच का इस्तेमाल करना।
7. सीट बैल्ट का प्रयोग न करना।
8. नज़र कमजोर होने पर भी वाहन चलाना।
9. एम्बुलेंस, दमकल व पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को आगे का रास्ता न देना।
10. वाहनों की सही देखरेख में अनदेखी करना।
11. ड्राइविंग सीट पर बैठकर सड़क धारकों की अनदेखी करना।
12. रक्तदान के लिए स्वैच्छा से आगे नहीं आना।
13. No Parking Zone में वाहन पार्क करना।
14. अवयस्क बच्चों को अपनी गाड़ी चलाने को देना।

नशे में वाहन चलाना, अपना व औरों का जीवन-गवाना।

ड्राइविंग के दौरान होने वाली सामान्य गलतियां

ध्यान खोना

- शांत बने रहे और ड्राइविंग पर सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित करें।
- विचारों में न खोएं, यात्रा को आनन्दमय बनाएं।
- जल्दबाजी से बचें।

अनिंद्रा अवस्था में ड्राइविंग

- अनिंद्रा की स्थिति में वाहन न चलाएं।
- समय–समय पर आवश्यकतानुसार रुके, विश्राम करें।
- सुनिश्चित बनाएं की लंबी यात्रा से पूर्व पर्याप्त विश्राम लें।

कार के भीतर ध्यान बांटने के कारक (मोबाइल/ रेडियो/ संगीत/ यात्री/ बहस/ वार्त्ता)

- ध्यान रहे कि ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का प्रयोग न करे।
- आवश्यक हो तो रुक कर मोबाइल सुने या बात करें।
- रेडियो/ संगीत/दृष्य/श्रव्य/ सहयोगियों से बातचीत पर ध्यान केन्द्रित न करें। विशेषकर बच्चों/ युवाओं की शरारतों/कृत्यों पर ध्यान न दें।

मौसम की स्थिति

- वर्षा, आंधी, तूफान के दौरान गति कम करना सुनिश्चित बनाएं।
- पहाड़ से आने वाले पत्थरों व भू–कटाव अथवा ल्हासों के प्रति ध्यान न देना।

विशेष परिस्थितियों में पहाड़ पर ड्राइविंग

पहाड़ों में सड़क निर्माण जहां एक जटिल कार्य है वहीं पहाड़ी रास्तों पर मैदानी इलाकों के मुकाबले वाहन चलाना एकाग्रता एवं सजगता भरा होता है। असंख्य मोड़, घुमावदार व ढलान भरी सड़कें होने के कारण ड्राइवर की दृष्टि भी सीमित दायरे में रहती है। पहाड़ी मार्गों पर वाहन चालकों को थकान भी ज्यादा महसूस होती है।

पहाड़ी मार्गों पर निम्नलिखित बातों को सदैव ध्यान में रखें।

- यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो पहाड़ी मार्गों पर वाहन न चलाएं।
- गति सीमा का सदैव पालन करें। प्रत्येक मोड़ पर गति कम करें।
- सदैव सतर्क रहें और रेडियो, स्टीरियो, मोबाइल का प्रयोग न करें।
- पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहन के लिए रुकें।
- शराब व नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं।
- मोड़ और कैंची मोड़ पर क्लच पैडल के इस्तेमाल से बचें।
- उतराई में गाड़ी को न्यूट्रल में न चलाएं।
- मोड़ों पर अति सावधानी से वाहन चलाएं।
- वाहन को पास देने के लिए पहले ही खुले स्थान पर अपनी गाड़ी रोकें।
- पहाड़ पर यात्रा आरम्भ करने से पहले सदैव वाहन की जांच करवाएं विशेष कर ब्रेक और टायरों की जांच अवश्य करवाएं।
- वर्षा के दौरान वाहन को धीमी गति से चलाएं।
- अधिक बारिश व फिसलन भरी सड़कों पर वाहन न चलाएं।
- रात के वक्त पहाड़ों में गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं।
- मानसून में धुंध व कोहरे में गाड़ी की रफ्तार सामान्य रखें।
- शीत ऋतु में बर्फ पर गाड़ी धीमें चलाएं। टायरों की जांच करें व जिन मार्गों पर प्रशासन द्वारा वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी गई है वहां वाहन न चलाएं।
- कोहरे तथा जमी बर्फ पर वाहन चलाते वक्त सदैव सतर्क रहें।
- पहाड़ों से मलवा, पत्थर गिरने वाली जगहों पर न रूकें और गाड़ी को सावधानी से आगे बढ़ाएं।

सुरक्षित वाहन चलायें, सुरक्षित घर जाएं।

आपातकालीन स्थिति के लिए सुझाव

- अपने वाहन/जेब में सदैव पहचान पत्र रखें।
- मोबाइल फोन पर आपदा की स्थिति में सम्पर्क व्यक्ति का फोन Emergency Number में दर्ज करें।
- ब्लड ग्रुप की जानकारी रखें।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी दस्तावेज जैसे मधुमेह,उच्च रक्तचाप की शिकायत इत्यादि।
- First Aid Box गाड़ी में अवश्य रखें।
- गाड़ी के पंजीकरण से गाड़ी धारक का तो पता चल जाता है लेकिन यात्रियों को भी अपनी पहचान अवश्य साथ रखनी सुनिश्चित बनायें।
- यात्रा से पूर्व अपने गंतव्य की सूचना परिवार/सम्बन्धियों/ दोस्तों को अवश्य दें।
- गाड़ी धारक को अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए। अनेक मामलों में युवा अपने परिजनों/अभिभावकों को बिना बताए गाड़ी ले जाते हैं।
- बर्फ/ बजरी/ कोहरे की स्थिति में ध्यानपूर्वक वाहन चलाएं।
- धुंध/कोहरे या अंधेरे में वाहन की गति को कम रखें व फॉग लाइट का सदैव प्रयोग करें।

दुर्घटनाओं के कुछ सामान्य कारण

- वाहन चालन नियमों का पालन न करना।
- तेज गति से वाहन चलाना।
- पैदल पथ धारकों को गुजरने का स्थान न देना।
- सिग्नल दिए बिना आगे बढ़ना या बिना सिग्नल गाड़ी को दांए या बाएं मोड़ना।
- लेन बदलने में जल्दबाजी करना।
- ऊपर आने वाली गाड़ियों के लिए नहीं रूकना।
- मोड़ों पर सावधानी से वाहन न चलाना।
- ड्राइविंग करते वक्त वाहन पर नियंत्रण बारे अति उत्साहित होना।

मानवीय संवेदनाएं समय की मांग

अखबारों की सुर्खियों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्रारूपों–जैसे व्हाट्एप्प, फेसबुक या इंस्टाग्राम में हर व्यक्ति उत्सुक्ता से हादसे की खबर को पढ़ता है। यह समाचार तेजी से हर तरफ फैलता है। इसको पढ़ने, जानने की एक मात्र उत्सुक्ता यही होती है कि कहीं इसमें हमारा परिचित तो नहीं। जब हम सभी ऐसी जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं तो सड़क सुरक्षा से जुड़े कानूनों, नियमों व मानदण्डों का पालन करना जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? हादसों को नियति को मंजूर था, पर न छोड़कर अपनी जिम्मेवारी समझें। वाहन को सड़क के अनुरूप चलाएं। एक बात सदैव शहरों से लेकर गांव तक सुनी व बोली जाती है कि फलां व्यक्ति गाड़ी बहुत तेज चलाता है, किसी दिन मरेगा या किसी को मारेगा। इस जिम्मेवारी को समझें, उसे स्वयं या समाज के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। गति व मति का ख्याल रखें। जीवन का नियम बनायें कि मदद के लिये सदैव हाथ बढ़ाने का प्रयास हो और हादसों में मानवीय संवेदनाओं की उपयोगिता को समझें। हमारे और आपके इस छोटे से प्रयास से हम हिमाचल को सुन्दर व सुरक्षित बनाए रखने में जरूर कामयाब होंगे।

घायल व्यक्ति को दुआ के साथ, आपके रक्त की भी जरूरत है।

संकट के समय देवदूत : नेक व्यक्ति

हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक अपनी समृद्ध संस्कृति, सहयोग, सहभागिता व सर्वकल्याण की भावना को सदियों से अपनाए हुये हैं। गांव हो या शहर आगजनी, प्राकृतिक आपदा या सड़क हादसों की घटना हो, यहां का हर नागरिक सदैव मद्द का हाथ बढ़ाता आया है। इस नेक कार्य से बहुमूल्य जीवन व संम्पदा को बचाने में मद्द मिली है। सड़क हादसों के वक्त वहां उपस्थित राहगीर, वाहन चालक या आस पड़ोस के निवासी हादसे में घायल व्यक्ति की स्वेच्छा से मदद करने में गुरेज करता था। इसका मुख्य कारण पुलिस, अस्पताल प्रशासन द्वारा हादसे की जांच पड़ताल व इलाज से पूर्व उसे परेशानी होती है। इस परिस्थिति के मद्देनजर केन्द्र व राज्य सरकारों ने मद्दगार की झिझक को समाप्त करने के लिए नेक व्यक्ति (Good Samaritan) **के संरक्षण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (1) सम्मिलित कर नये नियम लागू किए हैं।**

'' इस उपरोक्त नियम के तहत मुसीबत के वक्त मद्द करने वाले व्यक्ति जिसने पुलिस को दुर्घटना के बारे में प्रथम सूचित किया हो या जो घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया हो उसे अब कोई पुलिस अधिकारी या अस्पताल प्रशासन का सदस्य अपना नाम, पहचान, पता या किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही उसे वहां रुकने के लिए वाध्य कर सकता है। ''

इस नियम प्रमुख के तीन लाभ हैः—

1. ''इस कानून से अनेक घायल व्यक्तियों को समय पर राहत व चिकित्सा सुविधा मिलने से उनका जीवन बचाया जा सकेगा।''

2. सड़क हादसों के दौरान कोई भी जन, पीड़ित को सहायता व सुरक्षा प्रदान करने से हिचकिचाएगा नहीं। मद्दगारों/नेक व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी व मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी।

3. अगर नेक व्यक्ति को स्वीकार्य हो तो वह शपथ पत्र पर गवाही देने के प्रावधान का लाभ भी उठा सकता है ताकि उसे कोई उत्पीड़न व असुविधा न हो, वह अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रैसिंग के माध्यम से भी दे सकता है।

आओ – हम भी नेक व्यक्ति बनें (Good Samaritan)

घायल व्यक्ति बारे पुलिस को सूचित करने पर आप का व्यक्तिगत विवरण नहीं लिया जाएगा।
अस्पताल प्रशासन द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले से दुर्घटना की जानकारी नहीं ली जाएगी और बिना प्रश्न पूछे उसे जाने की अनुमति होगी।
Good Samaritan का नाम या सम्पर्क विवरण बताना स्वैच्छिक या वैकल्पिक होगा। नेक व्यक्ति किसी भी सिविल या आपराधिक दायित्व के लिए जवाब देह नहीं होगा।

आओ घायल व्यक्ति की मदद के लिए हाथ बढ़ायें,
नेक व्यक्ति बन पुण्य कमाएं।

गोल्डन ऑवर

किसी भी दुर्घटना में पीड़ित/पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान कर उसका जीवन बचाया जा सकता है। इसमें आमजन की तत्परता व जागरूकता, चिकित्सा कर्मी, आपदा दल की सतर्कता व तीव्रता मायने रखती है।

देश व दुनियां में सड़क हादसों पर हुए अध्ययनों का निष्कर्ष है कि घायल व्यक्ति के लिए दुर्घटना उपरान्त पहला घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान घायल व्यक्ति को तत्काल व समुचित प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होने से उसका जीवन बचाने की सम्भावनाएं कई गुणा बढ़ जाती है।

सड़क दुर्घटना के मामलों में राहगीर या वहां मौजूद अन्य लोग घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। सांस को बनाए रखना, रक्त स्त्राव को किसी कपड़े पर दवाब देकर बंद करना, वाहन में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालना, रीढ़ की हड्डी को बचाना, इत्यादि उपायों से जीवन को बचाया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को चिकित्सा विधियों का मौलिक ज्ञान होना नितांत आवश्यक है नहीं तो अज्ञानता की स्थिति में स्थिति बिगड़ भी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर युवा शक्ति को प्राथमिक चिकित्सा सहायता (First Aid) का प्रशिक्षण देना अब समय की मांग है। घायल व्यक्ति के स्वास को बनाये रखना, रक्त प्रवाह को रोकना ही प्रथम चिकित्सा सेवा देने का मूल मंत्र है। इस कार्य में **आपातकालीन प्रक्रिया सहायता प्रणाली–112 नम्बर अहम भूमिका निभा रही है।**

आज के इंटरनेट युग में प्राथमिक चिकित्सा सहायता से सम्बंधित जानकारियां सोशल मीडिया जैसे यू–टयूब व सड़क सुरक्षा एजेंसियों, चिकित्सा सॅस्थानों की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है। एक जागरूक नागरिक इससे भी ज्ञान प्राप्त कर अमूल्य जीवन रक्षा करने में मद्दगार बन सकता है।

दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार सम्बन्धित प्राथमिकताएं तथा आवश्यकताएं

- श्वास में अवरोध (ऑक्सीजन न मिलना)।
- हृदय का एकदम रूकना।
- तीव्र रक्त स्त्राव।
- अन्य गंभीर चोटें इत्यादि।

तत्काल आवश्यक उपाए

- स्थल को सुरक्षित बनाना।
- घायलों को खोजना।
- उनकी सहायता करना।
- मददगार को बुलाना, बेहोश पीड़ितों का विशेष ध्यान रखना।

A B C नियमों का अनुपालना

A – एयरवे यानी वायु मार्ग– वायु मार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोलें।

B – ब्रीदिंग (Breathing) यानी सांस लेना– मुंह से मुंह में सांस छोड़कर (रिसाइटेशन) जीवन की बहाली में मदद करें।

C – सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार–खून बहने से रोकें।

सड़क हादसों के कुछ प्रमुख कारण

- जेखिम वाले मार्गों व कमजोर पुख्ता दिवारों/डंगों पर गाड़ी चलाना, तंग सड़कों पर पास देने के लिए जोर जबरदस्ती करना।
- गाड़ी चलाते वक्त अभद्र भाषा का प्रयोग कर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रोड रेज में शामिल होना।
- अवयस्क व बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलवाना।
- नशे की हालत व लापरवाही से वाहन चलाना ।

मोबाइल की call कहीं बने न 'काल'।

जीवन रक्षा के लिये
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली– ERSS

- देश भर में एक ही फोन नम्बर 112 पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के तहत पुलिस सहायता–100, आग के लिए–101 तथा एम्बुलेंस के लिए 102 को एकीकृत कर 112 नम्बर लागू किया गया है।

- ERSS केन्द्र कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से लैस पुलिस नियंत्रण कक्ष है, जो आपातकालीन सेवाओं के लिए तत्परता से कार्य करता है।

- सड़क हादसों के दौरान पूर्व में स्थापित 108 के अतिरिक्त 112 नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

- ERSS प्रणाली को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है।

सुरक्षित एवं सुगम सड़क यात्रा के लिये हमारे प्रयास

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग के तहत गठित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से राज्य में सड़क हादसों को कम करने के लिए तत्परता एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश से कार्य कर रहा है। सभी हितधारकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, गृहरक्षा व सड़क निर्माण विभाग व अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।

जन संचार माध्यम

आमजन को जागरूक करने के लिए संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, लघु फिल्मों, सोशल मीडिया, पारम्परिक नाट्य दलों, संगोष्ठियों, रक्तदान शिविरों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश जन–जन को दिया जा रहा है।

युवा शक्ति जागरूकता

युवा शक्ति को जागरूक करने के लिए 1895 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों व 135 महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन किया गया है। इसके माध्यम से यातायात नियमों, संकेतों की जानकारी दी जा रही है। छात्रों में सड़क सुरक्षा का ज्ञान और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए छठी से दसवीं के छात्रों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर पाठ्यक्रम **'सड़क सुरक्षा–जिम्मेदारी हमारी'** तैयार करवाया गया है। इस पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2022 से विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों में 'ट्रैफिक पार्क भी स्थापित किये जा रहे हैं ताकि युवा शक्ति को जागरूक किया जा सके। इसके इलावा दुर्घटना के समय बचाव व चिकित्सा सहायता प्रदान करने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालयों में पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर लोक प्रशासन संस्थान, शिमला में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि वे सड़क सुरक्षा की बारीकियों को समझ कर युवाओं को प्रशिक्षित कर सके।

रक्तदान शिविर

आमजन को सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ

हेलमेट सदैव लगाएं, अपने आप को मृत्युलोक की यात्रा से बचाएं।

सुरक्षित एवं सुगम सड़क यात्रा के लिये हमारे प्रयास

मिलकर प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जहां आम जन को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रेरित करना है वहीं समाज को सड़क की उपयोगिता बारे अपनाए गए कानूनों /नियमों की जानकारी भी देना है।

कार्यशालायें

राज्य भर में जिला व ग्राम स्तर पर सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर समाज के प्रबुद्व लोगों को जागरूक करना प्रमुख है ताकि वे अपने–अपने कार्यक्षेत्र में लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकें। सरकारी विभागों व परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों के लिए भी नियमित तौर पर कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें कानून, नियमों की जानकारी दी जा रही है।

पंचायतों की भागीदारी

ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की मूल इकाई पंचायतें 'सड़क सुरक्षा' क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती हैं। परिवहन विभाग का प्रयास रहेगा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ग्राम स्तर पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रावधानों, नियमों, कानूनों की जानकारी दी जाएगी।

ग्राम सभाओं में सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। पंचायतों का यह दायित्व सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी पंचायत क्षेत्र में नया वाहन खरीद कर लाए उसे सुरक्षित वाहन चलाने की हिदायत दी जाए और अगर पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित किसी चालक (निजी या सरकारी) द्वारा गाहे बगाहे उल्लघंन करने का मामला प्रकाश में आए तो उसके परिवार, सम्बन्धियों या पुलिस प्रशासन को यथावत सूचित किया जाए। विवाह समारोहों, उत्सवों में शराब का सेवन करके वाहन न चलाने की हिदायत को भी अनिवार्य बनाया जाए।

इन उपायों से सम्पर्क मार्गों, ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता मिलेगी। पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में सड़क हादसों को कम करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्ताव भी पास कर सकती है। इससे आमजन तक सड़क सुरक्षा का संदेश देने में कामयाबी मिलेगी।

सुरक्षित एवं सुगम सड़क यात्रा के लिये हमारे प्रयास

हरित ऊर्जा की राह पर : हिमाचल

हिमाचल को 'हरित प्रदेश' बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। सरकार का प्रयास वायु, ध्वनि व अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करना है। इस कड़ी में विभागों, पथ परिवहन निगम की अधिकतम डीज़ल वाहनों/चलित बसों को ई–बसों में बदला जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए नीति बनाने का निर्णय भी वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया है ।

परिवहन विभाग ने हरित प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में पहल करते हुए कार्यालय प्रयोग हेतु अपने पूरे विभाग की डीजल/पैट्रोल कारों को ईलैक्ट्रिक कारों में बदला है, इस प्रकार परिवहन विभाग ई–कार प्रयोग करने वाला राज्य का प्रथम विभाग बना है राज्य में इस वक्त ई–वाहनों का संचालन भी किया जा रहा है और प्रदेश वासियों को हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिये सरकार प्रयासरत है। निजी बस ऑपरेटरों को ई– बस की खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रूपये का उपदान दिया जाएगा व उन्हें Charging Stations की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत की दर से उपदान भी दिया जाएगा।

सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण

हिमाचल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिये विश्व भर में एक पंसदीदा गन्तब्य स्थल उभर कर सामने आया है। यहॉं का स्वच्छ एवं सुन्दर पर्यावरण प्रतिवर्ष राज्य की आवादी से तीन गुणा अधिक सैलानियों को आकर्षित करता है। ग्रामीण सड़क मार्गों की वृद्वि से ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्वि दर्ज हुई है। राज्य में पंजीकृत व बाहर से आने वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच भी सुनिश्चित बनाई जा रही है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ वाहन चालकों को विशेषकर पर्यटकों से कचरा जैसे खाली प्लास्टिक की बोतलें, लिफाफों व बचे हुये भोजन को सड़क व ढालानों पर न फैंकने बारे भी जागरूक कर रहा है। अनेक बार वाहनों से फैंकी जाने वाली खाद्य बस्तुओं पर जंगली जानवर व आवारा पशु दौड़ते हैं, ऐसी स्थिति में सड़कों पर दुर्घटनओं की आंशका बढ़ जाती हैं।

सड़क सुरक्षा नियम अपनाएं, जीवन का लुत्फ उठाएं।

सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिए नवीन प्रौघोगिकी

प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा कानून एवं अधिनियमों को लागू करने में परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन की अहम भागीदारी है। वे सड़क सुरक्षा की भागीदारी के तहत चौबिस घण्टे सेवायें प्रदान कर प्रदेश को सुरक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कानूनों को लागू करना अब सरल व सुगम बनाया है। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आये हैं।

Alco Sensor

एलको सैंसर, नशे की हालत में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये चालकों की मौके पर ही जांच हेतु पुलिस विभाग द्वारा एल्को सेंसर उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत ऐसे वाहन चालकों के विरूद्व भारी जुर्माने के अतिरिक्त दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

Laser Speed Gun/Doppler Radar

वाहनों की तेज गति पर अंकुश लगाने के लिये यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा नवीन तकनीक पर आधारित डॉपलर रॉडार व लेजर स्पीड–गन का उपयोग राज्य के प्रमुख मार्गों पर किया जा रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायता मिली है।

Body worn Camera

मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों द्वारा यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं की रोकथाम के लिये इन्हें नवीनतम तकनीक युक्त बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध करवाये गये हैं। इस तकनीक से चालकों व कर्मियों के मध्य होने वाली बातचीत की रिकॉडिंग का भी प्रावधान है। यह रिकार्डिंग चालक या कर्मचारी को व्यवहार को प्रमाणित व जुर्माने तथा दण्ड को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

Mobile Phone for e-Challans

इंटरनेट की उपलब्धता से यातायात नियमों व प्रावधानों की उल्लघंना करने वाले वाहन चालकों का मौके पर चालान और भुगतान ई–चालान प्रणाली से संभव हुआ है। इससे उल्लंघन/कर्त्ताओं को कार्यालयों व न्यायालयों में चालान भुगतान करने के लिये आवश्यकता नगन्य होगी। ऐसी व्यवस्था से विभागों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं दोनों पक्षों की समय में भी बचत हो रही है।

घायल व्यक्ति की मदद कर जीवन का परम धर्म निभाएं।

Intelligent Traffice Management System

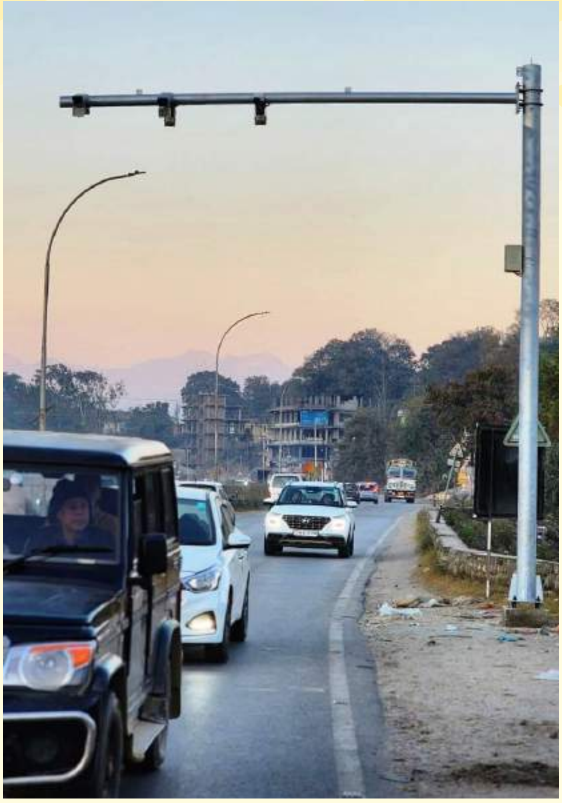

मानव रहित उपकरणों जैसे कैमरों के माध्यम से प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था को नियन्त्रित व सुचारू बनाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है। बिना सीट बैल्ट, बिना नम्बर की गाड़ी, हैल्मेट न पहनने, रैड सिग्नल तोड़ने, तेज गति से वाहन चलाने एवं वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करने सहित अनेक अन्य निर्धारित ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ई–चालान, वॉटसॉप्प, एसएमएस व ई–मेल से पंजीकृत वाहन चालक को प्राप्त हो रहा है। ऐसे उल्लंघनकर्त्ताओं को माननीय न्यायालय से भी अधिक राहत की गुंजाईश नहीं रहती है।

DIGILOCKER FACILITY

ई–परिवहन व्यवस्था वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास व इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता के मद्देनज़र सरकार द्वारा आम जनता को वाहन से सम्बन्धित मूल कागज़ सदैव साथ लेकर चलने, उनके गुम होने या नष्ट होने की असुविधा से बचाने के लिए 'डिजिटल लाकर' प्रणाली आरम्भ की गई है जिसे डिजी लॉकर (DIGILOCKER) का नाम दिया गया है।

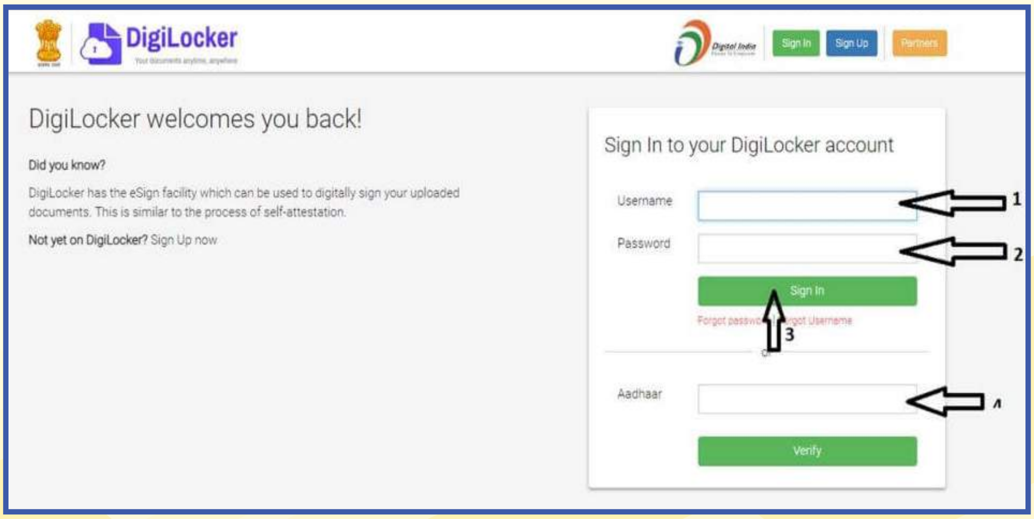

आदेशात्मक संकेत

रूकिये
STOP

रास्ता दीजिये
GIVE WAY

प्रवेश निषेध
NO ENTRY

आने का रास्ता
ONE WAY

दोनों वाहन प्रवेश निषेध
VEHICLES PROHIBITED IN BOTH DIRECTIONS

सभी वाहन प्रवेश निषेध
ALL MOTOR VEHICLES PROHIBITED

ट्रक प्रवेश निषेध
TRUCK PROHIBITED

बैलगाड़ी, हाथगाड़ी प्रतिबंधित
BULLOCK CART & HAND CART PROHIBITED

बैलगाड़ी, प्रतिबंधित
BULLOCK CART PROHIBITED

तांगा प्रवेश निषेध
TONGA PROHIBITED

हाथगाड़ी प्रवेश निषेध
HAND CART PROHIBITED

साइकिल प्रवेश निषेध
CYCLE PROHIBITED

पैदल यात्रा प्रवेश निषेध
PEDESTRIAN PROHIBITED

दायें मोड़ निषेध
RIGHT TURN PROHIBITED

बायें मोड़ निषेध
LEFT TURN PROHIBITED

यू मोड़ निषेध
U TURN PROHIBITED

ओवर टेक करना मना है
OVERTAKING PROHIBITED

हार्न बजाना मना है
HORN PROHIBITED

गति सीमा
SPEED LIMIT

चौड़ाई सीमा 2 मी.
WIDTH LIMIT 2mt.

ऊँचाई सीमा 3.5 मी.
HIGHT LIMIT 3.5mt.

एक्सल भार क्षमता 4 टन
AXLE LOAD LIMIT

प्रतिबंध समाप्त
RESTRICTION ENDS

लंबाई सीमा
LENGTH LIMIT

पार्किंग निषेध
NO PARKING

रुकना मना है
NO STOPPING

हार्न बजाइये
COMPULSORY SOUND HORN

बाएं मोड़
COMPULSORY TURN LEFT

सीधे जाएं
COMPULSORY AHEAD ONLY

दायें मोड़
COMPULSORY TURN RIGHT

सीधे या दायें मुड़ें
COMPULSORY AHEAD OR TURN RIGHT

सीधे या बायें मुड़ें
COMPULSORY AHEAD OR TURN LEFT

बायें रहिये
COMPULSORY KEEP LEFT

साइकिल मार्ग
COMPULSORY CYCLE TRACK

भार क्षमता 5 टन
LOAD LIMIT

चेतावनी संकेत

दायें मोड़
RIGHT HAND CURVE

बायें मोड़
LEFT HAND CURVE

(दायें) हेयरपिन मोड़ (बायें)
(RIGHT) HAIR PIN BEND (LEFT)

(दायें) टेढ़मेढ़ा मोड़ (बायें)
(RIGHT) HAIR PIN BEND (LEFT)

चौराहा
CROSS ROAD

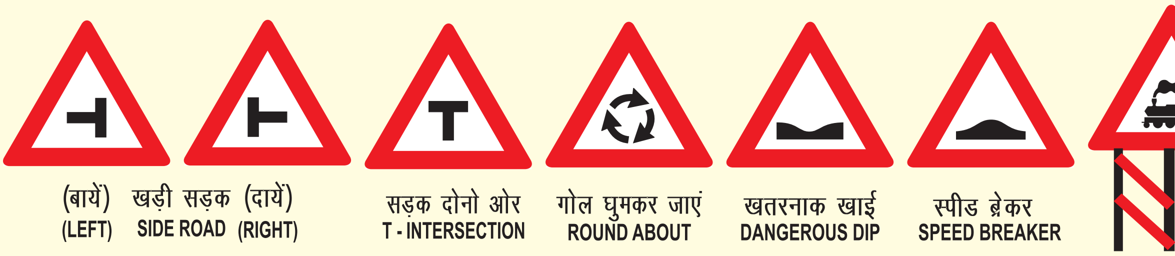

(बायें) खड़ी सड़क (दायें)
(LEFT) SIDE ROAD (RIGHT)

सड़क दोनो ओर
T - INTERSECTION

गोल घुमकर जाएं
ROUND ABOUT

खतरनाक खाई
DANGEROUS DIP

स्पीड ब्रेकर
SPEED BREAKER

गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग
UNGUARDED RLY CROSSING

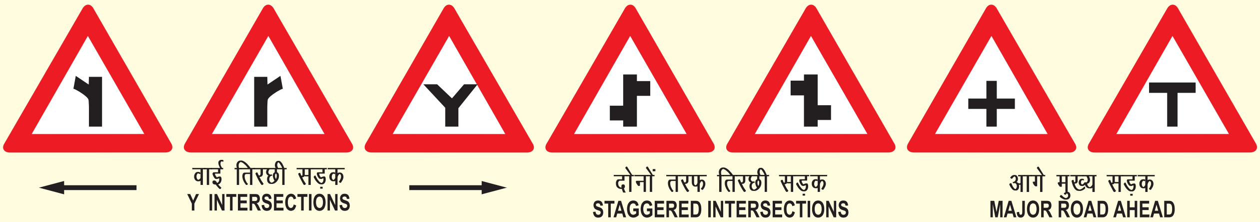

वाई तिरछी सड़क
Y INTERSECTIONS

दोनों तरफ तिरछी सड़क
STAGGERED INTERSECTIONS

आगे मुख्य सड़क
MAJOR ROAD AHEAD

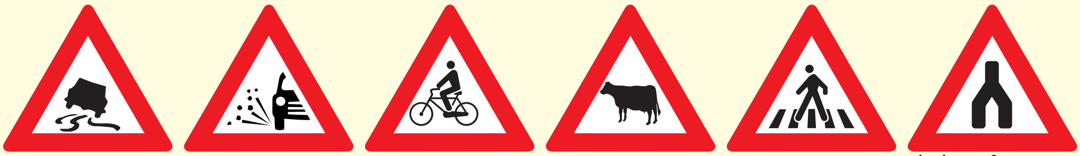

आपूर्ति मार्ग
SUPPLY ROAD

फिसलन भरी सड़क
LOOSE GRAVEL

साईकिल क्रासिंग
CYCLE CROSSING

बैल
CATTLE

पैदल यात्री क्रासिंग
PEDESTRIAN CROSSING

दोहरे मार्ग का अन्त
DUAL CARRIAGE WAY ENDS

विद्यालय
SCHOOL

आदमी काम पर
MEN AT WORK

गिरती चट्टान
FALLING ROCKS

नाव घाट
FERRY

चढ़ाई
STEEP ACCENT

उतार
STEED DESCENT

संकीर्ण पुल
NARROW BRIDGE

आगे संकरी सड़क
NARROW ROAD AHEAD

आगे चौड़ी सड़क
ROAD WIDNES AHEAD

डिवाइटर के बीचकट है
GAP IN MEDIAN

ऊबड़–खाबड़ सड़क
HUMP OR ROUGH ROAD

आगे बैरियर है
BARRIER AHEAD

घोड़ा
HORSES

गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग
GUARDED RLY. CORSSING

सूचनात्मक संकेत

सार्वजनिक दूरभाष
PUBLIC TELEPHONE

पेट्रोल पंप
PETROL PUMP

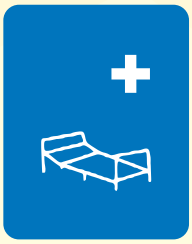

अस्पताल
HOSPITAL

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र
FIRST AID POST

खाने की जगह
EATING PLACE

जलपान
LIGHT REFRESHMENT

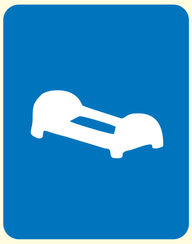

विश्राम स्थल
RESTING PLACE

बाजू से रास्ता नहीं
NOT THROUGH SIDE ROAD

सड़क नहीं है
NO THROUGH ROAD

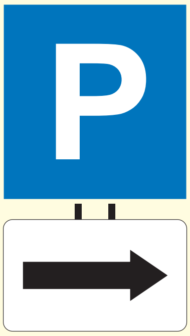

दायीं ओर पार्किंग
PARKING THIS SIDE

दोनों तरफ पार्किंग
PARKING BOTH SIDES

टू व्हीलर पार्किंग
SCOOTER AND MOTOR CYCLE STAND

साईकिल स्टैंड
CYCLE STAND

टैक्सी स्टैंड
TAXI STAND

ऑटो रिक्शा स्टैंड
AUTO-RICKSHAW STAND

साईकिल रिक्शा स्टैंड
CYCLE RICKSHAW STAND

सावधान चालक अनुशासित चालक।

सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा

एक जिम्मेदार वाहन चालक के नाते मैं शपथ लेता हूँ: –

1) जीवन पर्यन्त यातायात नियमों /कानूनों का अक्षरसः पालन करूँगा।

2) मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन नहीं चलाऊँगा।

3) सदैव ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ या DIGILOCKER/M-PARIVAHAN- DIGITAL स्वरूप में रखूंगा।

4) तेज गति से वाहन नहीं चलाऊँगा।

5) राहगीरों विशेष तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों को अधिमान दूंगा व बेसहारा पशुओं पर खास ध्यान रखूंगा।

6) अपने स्वास्थ्य की जांच नियमित तौर से करवाऊँगा।

7) वाहन का रखरखाव व जांच नियमित रूप से करवाऊँगा।

8) सड़क पर प्रदर्शित सभी संकेतों (सिग्नलों) का सदैव पालन करूंगा।

9) रोगी वाहन व अग्निशमन वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूंगा।

10) निंद्रा, थकान व तनावग्रस्त होने पर वाहन नहीं चलाऊँगा।

11) उच्च मार्गों पर अपनी लेन में अनुशासन का पालन करूंगा।

12) स्कूल, अस्पताल जैसे ध्वनि निषेधित क्षेत्रों में हॉर्न नहीं बजाऊँगा।

13) सदैव सीट बैल्ट व दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करूंगा।

14) वाहन चलाते वक्त मोबाईल का प्रयोग नहीं करूंगा।

15) रात्रि में डिपर/low Beam का प्रयोग करूंगा।

16) वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को नहीं बिठाऊँगा।

17) माल ढ़ोने वाले वाहनों में निर्धारित सीमा से अधिक भार नहीं ढोऊंगा।

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है।

हिमाचल की घुमावदार सड़कें आपको रोमांचित करती हैं

परन्तु यातायात नियमों का पालन न करने पर
सड़क दुर्घनाओं की सम्भावना बढ़ जाती है

सतर्क रहें - सुरक्षित रहें

यातायात नियमों का करो सम्मान,
इसी में है हम सबकी शान

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग घातक है

यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित जगह वाहन रोककर

मोबाईल का प्रयोग करें

अपना एवं औरों का अमूल्य जीवन बचाएं

सचेत रहें

वाहन चलाते समय
मोबाईल फोन का
प्रयोग न करें

गलत लेन में ड्राईव न करें,
तथा लेन बदलते समय
पीछे से आने वाले वाहन
का ध्यान रखें

आपकी यात्रा मंगलमय हो

परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

सड़क सुरक्षा

✓ ओवर स्पीड न करें

✓ हमेशा हेलमेट पहने

सही दिशा।

सही रफ्तार !!

सम्भल कर चलायें वाहन।

सुरक्षित वनायें जीवन !!

मत करो इतनी मस्ती
जिंदगी नहीं हैं सस्ती

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

शराब पीकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है !

शराब व अन्य मादक पदार्थ (चरस, अफीम, कोकिन, नशीली दवाईया इत्यादि) का सेवन करने से हमारी दृष्टि, अनुसान व निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिससे वाहन चलाते समय भंयकर दुर्घटना हो सकती है।

हमेशा सीट बैल्ट पहनें

सुरक्षित रहें

दोपहिया वाहन सवार के लिए

हेलमेट

पहनना जरूरी है

सचेत रहें

वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें

बस की छत पर सफर करना अपराध

मुद्रित: मुद्रण और स्टेशनरी विभाग, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171005

परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश

Web: https://roadsafety.hp.gov.in/ | Email : larsc-tpt@hp.gov.in

नि:शुल्क वितरण